

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

वर्ष 2013-14 का निष्कर्ष बजट (OUTCOME BUDGET)

1. भूमिका

1.1 संघ सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राष्ट्रपति के समय समय पर जारी आदेशों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग एक नोडल विभाग है। इसकी स्थापना जून, 1975 में की गई थी। यह विभाग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है। इनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देना, कार्यालयों का निरीक्षण करना, आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रगति पर निगरानी रखना, राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन आदि करना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों आदि से संबंधित कार्यों का समन्वय करना आदि शामिल है। यह विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सहायक साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण का कार्य भी करता है। कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में देवनागरी लिपि के माध्यम से काम करने की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे उपकरणों के विकास तथा उपलब्धता संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने की भूमिका भी राजभाषा विभाग निभा रहा है।

1.2 राजभाषा विभाग मूलतः राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग से जुड़ी गतिविधियां निष्पादित करता है। यह विभाग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देता है। राजभाषा विभाग सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा एवं हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण, सरकारी सामग्री के अनुवाद कार्य, राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। विभाग का यह भरसक प्रयास होता है कि बजट में आवंटित राशि का सदुपयोग कर लिया जाये।

2 राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय

2.1 केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

2.1.1 राजभाषा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 1985 को नीचे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी :-

(1) केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, निगमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती, हिंदी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का तथा अंग्रेजी टंकण और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी पढ़ाने की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(3) संघ सरकार के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं, किंतु हिंदी में कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

2.1.2 केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के उप-संस्थान

संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नै में 5 उप-संस्थान काम कर रहे हैं। साथ ही हिंदी शिक्षण योजना के गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में पांच क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। देश भर में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा व हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए 129 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र व 18 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

2.1.3 केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2011-2012		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14
	लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	लक्ष्य (वार्षिक)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या) (31.12.2012 तक)	लक्ष्य (वार्षिक)
(1) हिंदी भाषा प्रशिक्षण (प्रबोध प्रवीण तथा प्राज्ञ)					
(क) हिंदी शिक्षण योजना	28,940	21,315	28,720	21154	28,720

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2011-2012		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14
	लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	लक्ष्य (वार्षिक)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या) (31.12.2012 तक)	लक्ष्य (वार्षिक)
(ख) गहन प्रशिक्षण	4,590	1,238	4,590	729	3,780
(ग) भाषा पत्राचार	4,000	3,251	4,000	3874	4,000
योग	37,530	25,804	37,310	25,757	36,500
(2) हिंदी टंकण प्रशिक्षण					
(क) हिंदी शिक्षण योजना	2,860	1,846	3,010	1885	3200
(ख) गहन टंकण	750	357	660	215	660
(ग) टंकण पत्राचार	1,000	752	1,000	870	1000
योग	4,610	2,955	4,670	2970	4860
(3) हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण					
(क) दीर्घकालीन प्रशिक्षण	1230	300	1280	285	1290
(ख) गहन प्रशिक्षण	210	45	180	25	180
योग	1440	345	1460	310	1470
(4) गहन हिंदी कार्यशालाएँ	39 कार्यक्रम	60 कार्यक्रम	39 कार्यक्रम	36 कार्यक्रम	51 कार्यक्रम
(05 दिवसीय)	1170 प्रतिभागी	1094 प्रतिभागी	1170 प्रतिभाग	940 प्रतिभागी	1530 प्रतिभागी
(5) अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (0 दिवसीय)					
(क) कार्यक्रम	07 कार्यक्रम	08 कार्यक्रम	07 कार्यक्रम	04 कार्यक्रम	07 कार्यक्रम
(ख) प्रशिक्षार्थी	नामन पर आधारित	190 प्रशिक्षार्थी	नामन पर आधारित	108 प्रशिक्षार्थी	नामन पर आधारित

2.2 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (अनुवाद कार्य) :

2.2.101 मार्च, 1971 को स्थापित राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांवाधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य करता है और केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त बैंगलूरु, मुंबई व कोलकाता में अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्थाएं हैं।

2.2.2 ब्यूरो द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान 50,200 मानक पृष्ठों (नियमित स्थापना द्वारा 38,200 पृष्ठों का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 12,000 पृष्ठों का) के अनुवाद के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2012 तक कुल 55,562 मानक पृष्ठों का (नियमित स्थापना द्वारा 38,410 पृष्ठों का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 12,121 पृष्ठों का) अनुवाद किया गया । वर्ष 2012-13 में 55,000 (नियमित स्थापना द्वारा 35,000 पृष्ठ तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 20,000 पृष्ठ) मानक पृष्ठों के अनुवाद के सापेक्ष दिसम्बर, 2012 तक 46,644 (नियमित स्थापना द्वारा 27,185 पृष्ठों का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 19,459 पृष्ठों का) मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया ।

2.2.3 अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम:

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2011-2012		वर्ष 2012-2013		वर्ष 2013-2014
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (31.12.2012 तक)	लक्ष्य
(1) त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 189 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	12 कार्यक्रम 141 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी
(2) 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 53 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 48 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी
(3) अल्पावधि अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 412 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	13 कार्यक्रम 370 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी
(4) उच्चस्तरीय/पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 129 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी	05 कार्यक्रम 94 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी
(5) राष्ट्रीय	04 कार्यक्रम	04 कार्यक्रम	04 कार्यक्रम	02 कार्यक्रम	04 कार्यक्रम

अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2011-2012		वर्ष 2012-2013		वर्ष 2013-2014
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (31.12.2012 तक)	लक्ष्य
प्रशिक्षण नीति के अधीन प्रशिक्षण	40 प्रशिक्षणार्थी	46 प्रशिक्षणार्थी	40 प्रशिक्षणार्थी	22 प्रशिक्षणार्थी	40 प्रशिक्षणार्थी

2.2.4 त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपलब्धियों में कमी निम्नलिखित विभिन्न कारणों से हुई:-

1. नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध
2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पदों की 10% कटौती
3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित कर्मचारी अनेक बार बुलाए जाने पर अपने संबंधित विभागों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किए जाते हैं ।
4. हिंदी और अनुवाद से संबंधित वर्तमान कर्मचारियों की अधिकांश संख्या पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है ।

3. राजभाषा हिंदी का तकनीकी पहलू

3.1 राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग हिंदी प्रयोग के लिए साफ्टवेयर विकसित करवाने एवं प्रशिक्षण दिलवाने के साथ-साथ तकनीकी सम्मेलनों/संगोष्ठियों के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से सम्पर्क स्थापित करता है तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों व साफ्टवेयर अनुप्रयोग (Applications) द्वारा हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करता है।

3.2 तकनीकी प्रभाग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रयोग के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली, सी-डेक, नोएडा, तथा एन.पी.टी.आई., फरीदाबाद के माध्यम से करवाता है । इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों के अधिकारी/कर्मचारी निःशुल्क भाग ले सकते हैं । वर्ष 2010-11 में भी उपलब्ध बजट को देखते हुए हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के कुल 54 कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया । कंप्यूटर प्रशिक्षण के महत्व एवं मांग के मद्देनजर वर्ष 2011-12 में प्रशिक्षण आयोजित कराने वाली संस्थाओं में राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को भी शामिल करते हुए हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के 125 कार्यक्रमों आयोजित किए गए । वर्ष 2012-13 में 100 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षणों के

लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2012 माह तक केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 31 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं। शेष कार्यक्रमों के लिए आयोजन के लिए प्रयास जारी है। वर्ष 2013-14 में भी 100 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित है।

3.3 तकनीकी प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष चार तकनीकी संगोष्ठियों और कंप्यूटर प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंप्यूटरों में द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) सुविधाओं के बारे में नवीनतम जानकारी दी जाती है। वर्ष 2011-12 में इस प्रकार की पांच संगोष्ठियां आयोजित करवायी गयी। वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 में 04 तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन का लक्ष्य है। वर्ष 2013-14 में भी 04 तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन का लक्ष्य है।

3.4 अनुश्रवण लाइन उपलब्ध-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट ऑन-वित्तीय एवं कार्य/प्रशासनिक, कराने के लिए नए साफ्टवेयर का विकास

3.4.1 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में स्थित लगभग दस हजार केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग के अनुश्रवण तथा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। उक्त कार्यालय देश भर में स्थित 329 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) में अनुश्रवण की प्रक्रिया तीन स्तरीय है:

(क) प्रथम स्तर पर राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के क्रमशः 05 व 03 क्षेत्रीय कार्यालयों से उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत 109 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र, 05 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र, टंकण/आशुलिपि के 20 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा 13 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) राजभाषा विभाग को केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो व क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्रशिक्षण की वित्तीय एवं भौतिक आख्याएं प्राप्त होती हैं।

(ग) राजभाषा विभाग को समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्रशिक्षण की वित्तीय एवं भौतिक आख्याएं प्राप्त होती हैं।

3.4.2 इन समस्त आख्याओं को मैनुअल की बजाए साफ्टवेयर एप्लीकेशन्स के माध्यम से आन-लाइन किया जाना परम आवश्यक है।

3.4.3 वैब पर आधारित एक आन-लाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया है। इस सिस्टम द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ/संबंध कार्यालयों, उपक्रमों, व बैंकों से आन-लाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट आदि विभाग व अधीनस्थ कार्यालयों को भेज सकेगें । इस सिस्टम का विकास, स्थापना एवं परीक्षण कर लिया गया है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा ।

3.4.4 यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राजभाषा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण शीर्षतम स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिंदी समिति, समस्त मंत्रालयों/विभागों में संबंधित माननीय मंत्रीगण की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समितियों तथा सचिव, राजभाषा की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता है । इन सबके अतिरिक्त राजभाषा समिति भी राजभाषा के प्रयोग का सतत् अनुश्रवण करती है । अतः उल्लिखित प्रयोजनार्थ साफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल्स का विकास नितांत आवश्यक है ।

4. अनुसंधान एकक की गतिविधियां:

4.1 पत्र-पत्रिकाओं तथा राजभाषा साहित्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार

4.1.1 राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के पहलू को सरकारी तंत्र में सशक्त रूप से पेश करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई है। अनुसंधान प्रभाग के पत्रिका एकक द्वारा त्रैमासिक पत्रिका **राजभाषा भारती** का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण किया जाता है । इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों के साथ, मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों व अन्य संस्थाओं की राजभाषा संबंधी गतिविधियों को स्थान दिया जाता है । दिसम्बर, 2012 तक इस पत्रिका के 134 अंक प्रकाशित हो चुके हैं तथा इसका 135वां तथा 136वां अंक प्रकाशाधीन है ।

4.1.2 राजभाषा विभाग द्वारा किए गए सरकारी कार्यों के विवरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट राजभाषा विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा संबंधी कार्यकलापों से संबंधित प्रकाशन है । विभाग की दूसरी रिपोर्ट वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर उनसे प्राप्त समेकित मूल्यांकन रिपोर्ट का संकलन है। उक्त दोनों रिपोर्टों का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण का कार्य किया जाता है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर अनुवर्ती

कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाती है। वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है।

4.1.3 विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित की जा रही हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने के उद्देश्य से “हिंदी पत्रिका पुरस्कार योजना” शुरू की गई है। इस योजना के तहत मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उत्कृष्ट पत्रिका के लिए क्रमशः 02-02 पुरस्कार दिए जाते हैं।

4.1.4 दिसम्बर, 2012 में 18वीं स्तरीय हिंदी पुस्तक सूची जारी की गई जिसमें लगभग 41,549 पुस्तकें शामिल की गई हैं।

4.1.5 राजभाषा नीति के अंतर्गत राजभाषा का प्रचार-प्रसार प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार व सदभावना के आधार पर किया जाना है। अतः राजभाषा विभाग में विविध माध्यमों यथा प्रकाशन, मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यापक व गहन प्रसार की अल्पकालिक व दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक है। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदव के आठवें खण्ड में की गयी संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति जी द्वारा पारित आदेश में भी राजभाषा के प्रभावी प्रचार-प्रसार का प्रावधान है।

4.1.9 वर्ष 2012-13 में अनुसंधान एवं पत्रिका एकक की गतिविधियों में उपरोक्त माध्यमों से प्रचार की गतिविधि को शामिल करके विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

5 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व अनुश्रवण पक्ष

5.1 समितियां

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्न समितियां गठित हैं :

5.1.1 केन्द्रीय हिंदी समिति

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिंदी समिति का गठन केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वय स्थापित करने के आशय से वर्ष 1967 में हिंदी के व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रगामी प्रयोगार्थ किया गया था। यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। समिति में प्रधान मंत्री जी के अतिरिक्त 08 माननीय केन्द्रीय मंत्री (गृह मंत्री जी उपाध्यक्ष, गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री-सदस्य), 06 राज्यों के मुख्य मंत्री, 04 संसद सदस्य तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय

भाषाओं के 22 विद्वान, कुल मिलाकर 40 (चालीस) सदस्य हैं। इस समिति की अब तक 30 बैठकें हो चुकी हैं। इस समिति की पिछली (30वीं) बैठक दिनांक 28.07.2011 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। **केन्द्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन/उसके कार्यकाल बढ़ाने का मामला राजभाषा विभाग के विचाराधीन है।**

5.1.2 संसदीय राजभाषा समिति

इस समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया। इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। अभी तक संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खंडों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जा चुके हैं। संसदीय राजभाषा समिति के नौवें खण्ड में की गयी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति जी को दिनांक 02.06.2011 को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रतिवेदन के नौवें खण्ड को संसद के पटल पर मानसून सत्र-2011 में पटल पर रख गया। इसमें की गयी सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त की जा रही है। इनके अध्ययन के पश्चात् इस पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित करने संबंधी कार्रवाई की जायेगी।

राजभाषा हिंदी के प्रभावी तथा सुचारू कार्यान्वयन की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अपनी स्थापना से **दिसम्बर, 2012 तक 10,940 सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों आदि का निरीक्षण किया गया है तथा 882 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया है।**

5.1.3 हिंदी सलाहकार समिति:

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान में 54 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं। इस समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित करना वांछित है।

5.1.4 केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति:

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इसके सदस्य हैं। इस समिति की अब तक 36 बैठकें हो चुकी हैं। इसकी पिछली (36वीं बैठक) 30 दिसंबर, 2011 को आयोजित हुई। इस वर्ष के लिए केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन 13 मार्च, 2013 के लिए प्रस्तावित है।

5.1.5 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां:

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना तथा इसके मार्ग में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करना है। वर्तमान में देश के विभिन्न नगरों में 329 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं जिनमें से 42 समितियां राष्ट्रीयकृत बैंको के लिए तथा 13 समितियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गठित है। इन समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी अपेक्षित हैं।

5.1.6 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इसकी बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित होती हैं। बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं।

6 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

6.1 सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं जो क्षेत्रीय आधार

पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए प्रति अधिकारी प्रति माह 12 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा इस संबंध में बनाए गए राजभाषा नियमों की अनुपालना की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2011-12 में 3,024 केन्द्रीय कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण के सापेक्ष मार्च, 2012 तक 1,722 निरीक्षण किये गए। वर्ष 2012-13 में भी 3024 कार्यालयों के निरीक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष में दिसम्बर, 2012 तक 1284 निरीक्षण किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में भी 3,024 केन्द्रीय कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है।

7 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकें

7.1 वर्ष 2011-12 में 554 बैठकों के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2012 तक 327 बैठकें आयोजित हुईं। वर्ष 2012-13 में 634 बैठकों के आयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2012 तक 311 बैठकें आयोजित हुईं।

8 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

8.1 राजभाषा हिंदी के प्रति एक आदर्श वातावरण बनाने, इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2012-13 में दो सम्मेलन अहमदाबाद एवं जम्मू में होने प्रस्तावित है। शेष दो सम्मेलनों के लिए स्थान निश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा संबंधी सांविधिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन विधिवत रूप से करने के लिए इन राजभाषा सम्मेलनों में संघ की राजभाषा नीति संबंधी विषयों पर विचार मंथन भी किया गया। वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में 04 सम्मेलनों के आयोजन का प्रस्ताव है। वर्ष 2012-13 में प्रथम सम्मेलन दिनांक 01.02.2013 को अहमदाबाद में, दूसरा सम्मेलन दिनांक 22.02.2013 को बेंगलूर में, तीसरा सम्मेलन दिनांक 08.03.2013 को रांची में आयोजित हुआ। चौथा तथा अंतिम सम्मेलन दिनांक 22.03.2013 को चंडीगढ़ में प्रस्तावित है।

9 राजभाषा प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार

9.1 दिनांक 14.09.2012 को नई दिल्ली में वर्ष 2010-11 के लिए मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को शील्डें तथा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार** प्रदान किए गए । इस अवसर पर हिंदी में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए **राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना 2010-11** के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार हिंदी दिवस पर राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए गए ।

10. **केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा** - विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध कार्यालयों में फैले हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्त, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर दिलाने हेतु वर्ष 1981 में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन केन्द्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष 1976 में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया है । राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है । इस सेवा में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के सभी हिंदी पद कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग यथा सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आदि को छोड़कर, शामिल हैं । छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में इस सेवा में शामिल 977 विभिन्न पदों का वर्गीकरण वर्तमान में निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पदनाम	कुल पद
1.	निदेशक	18
2.	संयुक्त निदेशक	36
3.	उप निदेशक	85
4.	सहायक निदेशक	200
5.	वरिष्ठ अनुवादक	318
6.	कनिष्ठ अनुवादक	320
कुल =		979

11. **वित्तीय प्रावधान** - राजभाषा विभाग को विभाग की विभिन्न राजभाषायी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) में 42.0675 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की है । वर्ष 2012-13 में 8.2265 करोड़ रूपए (प्रस्तावित

संशोधित अनुमान), वर्ष 2013-14 में 8.3120 करोड़ रूपए, वर्ष 2014-15 में 8.4150 करोड़ रूपये, वर्ष 2015-16 में 8.4930 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2016-17 में 8.6160 करोड़ रूपये की राशि आवंटित है । इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग के लिए नान-प्लान में भी प्रति वर्ष राशि आवंटित की जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 में नान-प्लान के अंतर्गत 40.61 करोड़ रूपए की राशि आवंटित है ।

**Department of Official Language
Ministry of Home Affairs**

Outcome Budget of the Department of Official Language 2013-14

1. Introduction

1.1 Department of Official Language is a nodal Department for ensuring compliance of Constitutional provisions, Official Language Act, 1963 and Official Language Rules, 1976, Official Language Resolution, 1968 and the Presidential orders issued from time to time regarding Official Language of the Union Government. It was set up in June, 1975. This department is conducting various activities to promote the progressive use of Hindi in the offices of Central Government. These activities include imparting training of Hindi language, Hindi stenography, Hindi typing and translation, inspection of offices, monitoring the progress through periodical reports, introducing various schemes to promote official language implementation, holding conferences at all India and regional level and co-ordination of work related to meetings of the committees constituted at different levels for implementation. This department also publishes and distributes reference literature for publicity & propagation of official language Hindi. With a view to increase facility to work in Devanagiri Script in various electronic equipments to be used in offices, Department of Official Language is playing an important role to coordinate all these activities regarding development of such equipments and their availability.

1.2 Department of Official Language basically performs the activities related to publicity & propagation and use of Official Language Hindi. This Department promotes the maximum use of Hindi in official working in the offices of Central Govt. Department of Official language fixes the annual targets of training in Hindi language and Hindi Typing/Stenography to govt. employees, translation work of official material, propagation of official language Hindi, prize distribution for incentive and makes efforts to achieve them. The Department tries its best to utilize the allotted amount of Budget.

2. Subordinate Offices of Department of Official Language

2.1 Central Hindi Training Institute (CHTI)

2.1.1 The Central Hindi Training Institute (CHTI) was set up on 21st August, 1985 under the Department of Official Language to achieve the following objectives:-

1. To arrange full time intensive training courses in Hindi for newly recruited officers/employees in the Central Govt. offices, Undertakings, enterprises, corporations and banks etc. who do not know Hindi and to impart training of Hindi typing and Hindi stenography to the English typists and stenographers.
2. To conduct Refresher Courses for teachers of training Institutes in order to apprise them of the latest techniques of teaching Hindi.

Activities related to Hindi Teaching/ Training	Year 2011-2012		Year 2012-2013		Year 2013-2014
	Target (Annual (No. of Trainees)	Achievement (No. of Trainees)	Target (Annual)	Achievement (No. of Trainees) (up to 31.12.12)	Target (Annual)
(1) Hindi Language Teaching (Prabodh Praveen & Pragya)					
(A) Hindi Teaching	28,940	21,315	28,720	21,154	28,720
(B) Intensive Training	4,590	1,238	4,590	729	3,780
(C) Language Correspondence	4,000	3,251	4,000	3,874	4,000
Total	37,530	25,804	37,310	25,757	36,500
(2) Hindi Typing Training					
(A) Hindi Teaching Scheme	2,860	1,846	3,010	1885	3200
(B) Intensive Typing	750	357	660	215	660
(C) Typing Correspondence	1,000	752	1,000	870	1000
Total	4,610	2,955	4,670	2,970	4860
(3) Hindi Stenography Training					
(A) Hindi Teaching Scheme	1,230	300	1,280	285	1290
(B) Intensive Training	210	45	180	25	180
Total	1,440	345	1,460	310	1470
(4) Intensive Hindi Workshops					
(A) Workshops	39	60	39	36 workshops	51
(B) Trainees	1170	1094	1170	940 trainees	1530
(5) Other Short-term Training Programmes					
(A) Programmes	07 Program	08 Program	07 Program	04 Program	07 Program

(B) Trainees	Based on nomination	190 trainees	Based on nomination	108 trainees	Based on nomination
--------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. To organize Five days workshops for the officers/employees of the Union Govt. who have knowledge of Hindi but feel difficulty to work in Hindi.

2.1.2 Sub-centres of Central Hindi Training Institute

In order to accelerate the activities and to expand the training capacity of the Central Hindi Training Institute, 5 Sub-centres have been working at Mumbai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad and Chennai under the Central Hindi Training Institute. In addition to these, five regional offices of 'Hindi Teaching Scheme' have also been set up in Guwahati, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. 129 full time training centres and 18 part-time training centres have been working to impart training of Hindi language and Hindi typing stenography under 'Hindi Teaching Scheme' throughout the country.

2.1.3 Details of activities regarding Hindi teaching/training conducted by **Central Hindi Training Institute** are as under:-

2.2 Central Translation Bureau (Translation work):

2.2.1 Central Translation Bureau, a subordinate office of the Department of Official Language was set up on 1st March, 1971. It translates non-statutory literature of Ministries, Departments, offices of Central Govt., undertakings etc. and conducts translation training courses for the officials associated with translation work in the offices of Central Govt. Apart from Central Translation Bureau's Headquarters at Delhi, there are translation training centers also in Bangalore, Mumbai & Kolkata. The hostel facility is also available for trainees coming to Delhi.

2.2.2 During the year 2011-12, Bureau translated a total no. of 55,562 standard pages (38,410 by Regular Establishment and 12,121 by Scheme for 'Expansion of Translation Capacity') against the target of translation of 50,200 standard pages (38,200 by Regular Establishment and 12,000 by Scheme for 'Expansion of Translation Capacity'). 46,644 standard pages (27,185 by Regular Establishment and 19,459 by Scheme for 'Expansion of Translation Capacity') are translated up to December, 2012 against the target of 55,000 standard pages (35,000 by Regular Establishment & 20,000 by Scheme for Expansion of Translation Capacity) for the year 2012-13.

2.2.4 Translation Training Programmes :

Details of various Translation Training Programmes conducted by Central Translation Bureau are as under: -

Activities related to Translation Training	Year 2011-2012		Year 2012-13		Year 2013-14
	Target	Achievement	Target	Achievements (up to 31.12.2012)	Target
(1) Three-Months Translation Training Course	16 Prog. 250 Trainees	16 Program 189 Trainees	16 Program 250 Trainees	12 Program 141 Trainees	16 Program 250 Trainees
(2) 21 days Translation Training Programme	02 Prog. 30 Trainees	02 Program 53 Trainees	02 Program 30 Trainees	02 Program 48 Trainees	02 Program 30 Trainees
(3) Short-term Translation Training Programme	16 Prog. 400 Trainees	16 Program 412 Trainees	16 Program 400 Trainees	13 Program 370 Trainees	16 Program 400 Trainees
(4) Advanced Refresher Translation Training Programme	06 Prog. 90 Trainees	06 Program 129 Trainees	06 Program 90 Trainees	05 Program 94 Trainees	06 Program 90 Trainees
(5) Training under National Training Policy	04 Prog. 40 Trainees	04 Program 46 Trainees	04 Program 40 Trainees	02 Program 22 Trainees	04 Program 40 Trainees

2.2.5 The main reasons for under-achievement in Three Months' Translation Training programmes are as under:-

1. Ban on new appointments.
2. 10% cut of posts in the Central Government offices.
3. Reluctance of concerned offices on relieving the employees nominated for training from time to time.
4. Most number of present employees concerned with Hindi and translation have already been trained.

3. Technical aspects of Official Language Hindi

3.1 The Technical Cell of the Department of Official Language, in addition to developing software for the use of Hindi and for imparting training, is also liaising with ministries/departments, undertakings; banks etc. through technical seminars and try to overcome the difficulty through electronic equipments in working in Hindi & Software applications being used.

3.2 Technical Cell is organizing computer training programmes for the use of Hindi for Central Govt. employees through National Informatics Centre, New Delhi, C-DAC, Noida and N.P.T.I., Faridabad. The employees/officers of ministries/departments of

Central Govt., undertakings, banks may take part in these programmes without paying any fees. During the year 2010-2011, a total no. of 54 computer training programmes were organized keeping in view the available budget. In view of the importance & demand of computer training, 125 programmes for computer training programs, by including 'Kendriya Hindi Prashikshan Sansthan', the subordinate office of Department of Official Language, were conducted during the year 2011-12. During the year 2012-13, **31 training programs have so far been conducted through the aegis of Central Hindi Training Institute up to December, 2012** against the target of 100 computer training programs. Efforts are being made to organize the remaining programmes. There is a target of conducting 100 Hindi computer training programs for 2013-14.

3.3 Four technical seminars & computer exhibitions are also organized by Technical Cell every year wherein latest information is disseminated about the bilingual (Hindi-English) facilities in computers. Five such seminars were organized during the year 2011-12. There is a target of conducting 04 technical seminars in the current financial year 2012-13 and next year 2013-14.

3.4 Development of new software to provide administrative/financial and performance reports on-line.

3.4.1 Department of Official Language, Ministry of Home Affairs is a nodal Department for monitoring of the use of official language and implementation of official language policy in about ten thousand central govt. offices situated in various parts of the country. The said offices are members of 329 Town Official Language Implementation Committees situated all over the country. The process of monitoring is done at three stages:-

(a) At first stage information are received from the 05 & 03 regional offices of Central Hindi Training Institute and Central Translation Bureau respectively of about their subordinate offices, The Sansthan has 109 full time & 5 part-time centers of Hindi language training. There are 20 full time & 13 part-time centers of Hindi typing & stenography training.

(b) Department of Official language get financial & physical reports of training from Training Institute, Central Translation Bureau & Regional Implementation offices.

(c) Department of Official language get quarterly & annual progress reports from all central ministries/departments.

3.4.2 All these reports are vitally urgent to be received online through software applications instead of manually.

3.4.3 An on-line web-based Management of Information System (MIS) has been developed. Through this system, all Ministries/Departments, subordinate/attached offices, undertakings and banks will be able to send their annual report, annual assessment report etc. on-line to this Department and regional implementation offices. This system has been developed, established and tested and will be implemented soon.

In addition to this, it is proposed to develop the system of getting various reports/information online for monitoring of administrative & financial & physical progress of regional implementation offices of the Department of Official Language, regional centers of subordinate offices by 3.4.4 It is also pertinent to be mentioned here that the monitoring of implementation of official language is done at apex level by Kendriya Hindi Samiti constituted under the chairmanship of Hon'ble Prime Minister, Hindi Salahakar Samitis constituted under the chairmanship of Hon'ble ministers in all Ministries/Departments and Central Official Language Implementation Committee constituted under the chairmanship of Secretary, Official Language. In addition to this, committee of Parliament on Official Language also monitors continuously use of the official language. So, for the purpose above mentioned, the development of Software Application tools is absolutely essential.

3.4.5 The development of system of presentation of quarterly progress reports on line and to imparting training to the users including the Administrator in the Department of Official Language, has been targeted for the year 2012-13.

(4) Activities of Research Unit

4.1 Publicity and propagation through periodicals and literature on Official Language

4.1.1 For the purpose of presenting strongly the aspect of propagation and development of official language Hindi in Govt. system, Research Division is established in Department of Official Language. Printing, publication & distribution of quarterly magazine '**Rajbhasha Bharti**' is done by 'Magazine unit' of Research Division. In this magazine, articles of various themes and the activities related to Official Language of ministries, departments, undertakings, banks & other institutions are also published. **Till December, 2012, 134 editions of this magazine have been published and its 135th & 136th editions are under print.**

4.1.2 Annual Report related to details of official activities performed by Department of Official Language is a publication related to activities of Department of Official Language & activities of subordinate offices related to Official Language. Second report i.e. Annual Assessment Report of Department is a compilation of consolidated assessment reports prepared on the basis of quarterly progress reports received from various ministries/ departments, undertakings, banks etc. Printing, publishing & distributing of both the reports is done & follow-up action on annual assessment reports is ensured to be taken by all ministries/departments. Annual assessment report is placed on the table of both the Houses of Parliament.

4.1.3 To improve the standard of the Hindi magazines being published for more & more propagation of Official Language Hindi by ministries/offices of central Govt./undertakings, '**Hindi Patrika Puraskar Yojna**' has been introduced. Under this scheme, 02-02 awards are conferred to Ministries/Departments and Public Sector Undertakings respectively for outstanding magazines.

4.14 **18th list of standard Hindi books have been issued in December, 2012 and this list includes about 41,549 books.**

5. Implementation and Monitoring aspects of Official Language of Union Government

5.1 Committees

To ensure the implementation of Official Language Policy in the offices of Central Government following committees have been constituted:

5.1.1 Kendriya Hindi Samiti

This Samiti has been constituted under the Chairmanship of the Hon'ble Prime Minister for coordinating all the programs related to propagation and progressive use of Hindi in Ministries/Departments of Govt. of India. It is the apex committee which lays down important guidelines regarding the Official Language Policy. The last meeting (30th) of this Samiti was held on 28.07.2011 under the chairmanship of Prime Minister. Follow-up action is being taken in on the decisions taken in this meeting. **The reconstitution/extending the tenure of Kendriya Hindi Samiti is under the consideration of Department of Official Language.**

5.1.2 Committee of Parliament on Official Language

This committee was constituted in 1976 under Section 4 of Official Languages Act, 1963. It is provided that the Committee shall consist of 30 members of whom twenty shall be members of the House of People and ten shall be members of the

council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of Council of States in accordance with the system of proportional representation of means of the single transferable vote. It shall be the duty of the committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the union and to submit a report to the President making recommendations thereon. Till date, Presidential orders on eight parts of the report submitted by the Committee of Parliament on Official Language have been issued. The 9th volume of the Report of the Committee of Parliament on Official Language was presented on 02.06.2011. It was placed on the table of House in the monsoon session-2011 of the Parliament. The concerned Ministries/Departments/State Governments/UTs are being consulted on the recommendations made in this Report. The action regarding issuance of President's Orders would be taken after examining their comments.

The Committee of Parliament on Official Language have inspected 10,940 Government offices/Undertakings etc. and have taken the evidence of 882 important personalities since its inception to December, 2012 in the direction of effective and smooth implementation of Official Language Hindi.

5.1.3 Hindi Salahkar Samiti

With a view to advising the Ministries/Deptts. of Central Government for smooth implementation of Official Language Policy, Hindi Salahkar Samitis have been constituted in 54 Ministries/Deptts. under the chairmanship of the ministers of the concerned Ministries/Deptts. During the year, minimum two meetings of this Samiti are required to be held.

5.1.4 Central Official Language Implementation Committee

With a view to reviewing the maximum use of Hindi for the Official purposes in the Ministries/Deptts of the Central Govt. as per the provisions of Official Language Act, 1963 and Official Language Rules, 1976, training of the employees of the Central Govt. in Hindi to review the implementation of the instructions issued by the Department of Official Language and to suggest measures for rectifying the shortcomings found in the compliance of these instructions, there exists a Central Official Language Implementation Committee in the Department of Official Language under the chairmanship of Secretary, Department Of Official Language, Officers in-charge (Joint Secretary's level) entrusted with the work of official language Hindi in

Ministries/Depts. are members of this Committee. Till date, 36 meetings have been held. 36th meeting was held on 30th December, 2011. It is proposed to conduct the committee's meeting in the last quarter of current year.

5.1.5 Town Official Language Implementation Committees

The main objective for constitution of Town Official Language Implementation Committees is to review the implementation of Official Language Policy in Central Govt. offices, undertakings, banks etc. spread all over the country to promote it and to remove the difficulties coming in the way of its compliance. 329 Town Official Language Implementation Committees have been constituted in different towns of the country. Out of these, 53 committees have been constituted for banks and undertakings (40 for Nationalized Banks and 13 for Public Sector Undertakings). Meetings of these Committees are required to be held twice a year.

5.1.6 Departmental Official Language Implementation Committees

Official Language Implementation Committees have been constituted in all Ministries/Depts. and offices. Meetings are held once in a quarter. In these meetings quarterly progress reports are reviewed and measures are taken for achieving the targets fixed in the Annual Program.

6. Implementation of Official Language Policy by Regional Offices

6.1 For effective implementing the official language policy of Govt., eight Regional Implementation offices have been working in different parts of the country who monitor the implementation of official language policy of the Union Govt. at regional level. A target of twelve inspections per month per officer has been fixed for Regional Implementation Offices. For reviewing the implementation of O.L. Policy and the compliance of Official Language Rules in this regard, Regional Implementation offices have inspected 1,722 govt. offices against the target of annual inspection of 3,024 offices of Central Govt. during the year 2011-12. **Till December, 2012, 1,284 inspections have been carried out against the target of 3,024 annual inspections during 2012-13.**

7. Meetings of Town Official Language Implementation Committees (TOLICs)

327 meetings of Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) were held against the target of 554 meetings of Town official Language

Implementation committees during 2011-12. **311 meetings were held till December, 2012 against the target of 634 meetings during the year 2012-13.**

8. Regional Official Language Conferences

8.1 For creating an ideal atmosphere for official Language Hindi, for discussing about the difficulties coming in the way of its implementation and for encouraging the implementation of Official Language Policy in Central Govt. offices at regional level, Regional Official Language Awards are given every year. **Two conferences are proposed to be held in Ahmedabad and Jammu in the year 2012-13. The process of selecting the venues of remaining two conferences is underway.** For publicity and propagation of Hindi as Official Language of Union and duly compliance of constitutional provisions related official language, Official Language Act, Official Language Rules and the Presidential Orders issued from time to time, the matters related to official language of the Union was discussed in these official language conferences. There is a target of conducting 04 conferences in the years 2012-13 and 2013-14.

9. Awards for Promotion of Rajbhasha

9.1 The Shields were given to various Ministries/Departments, boards, autonomous bodies etc. under control of Govt. of India, public sector undertakings, nationalized banks, Town official language Implementation Committees and Indira Gandhi Rajbhasha Awards at national level for original book writings in Hindi were awarded on 14.09.2012 in New Delhi for the year 2010-11. On this occasion, awards were also given under Rajeev Gandhi National Award Scheme for original book writing in Hindi on Gyan-Vigyan for 2010-11. These awards were given away on the occasion of **Hindi Day** by His Excellency, the President of India.

10. Central Secretariat Official Language Service – The Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) was constituted in 1981, consequent upon the decision of the Kendriya Hindi Samiti in 1976, with a view to bring all the Hindi posts created in different Ministries/Departments and their attached offices in an integrated cadre and to provide uniform service conditions, pay scales and promotional avenues to the incumbents. The Department of Official Language is its Cadre Controlling Authority. This Service includes all Hindi posts of Ministries/Departments of the Government of India and their attached offices excepting a few scientific and technical departments, viz., Department of Information Technology, Space and Atomic Energy etc. Consequent to the recommendations of the Sixth Central Pay Commission and after the cadre review, CSOLS has been restructured as under:-

S. No.	Designation	No. of Present Posts
1.	Director	18
2.	Joint Director	36
3.	Deputy Director	85
4.	Assistant Director	202
5.	Senior Translator	318
6.	Junior Translator	320
Total		979

11. Financial Provision: An amount of Rs. 42.0675 crore has been allotted in the 12th Five Year Plan (2012-13 to 2016-17) to Department of Official Language for the smooth functioning of different schemes of this Department. An amount of Rs. 8.2265 crore for the year 2012-13, an amount of Rs. 8.3120 crores (Proposed Revised Estimates) for the year 2013-14, an amount of Rs. 8.4150 crores for the year 2014-15, an amount of Rs. 8.4930 crores for the year 2015-16 and an amount of Rs. 8.6160 crores for the year 2016-17 have been allotted to this Department. Besides this, a certain amount under Non-Plan is also allotted annually to this Department. Rs. 40.61 crores have been allotted under Non-Plan programs to this Department during the current financial year 2012-13.
